

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

E-mail- rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/वै.शि./यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2022-23/ 3447

दिनांक :- 22/01/2022

सदन आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2022-23

A) प्रस्तावना:-

यूथ एवं ईको क्लब -

- (1) यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की जायेगी।
- (2) ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण, जैव-विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की जायेगी। साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है।
- (3) विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका को लागू करने के लिये ईको क्लब पुर्नगठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण व संरक्षण आदि कार्य को यूथ एवं ईको क्लब अन्तर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाये।
- (4) ईको क्लब के गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करना एवं जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना।
- (5) विश्व पर्यावरण की थीम "ईको सिस्टम रिस्टोरेशन: रीइमेजिन (फिर से बनाना) एवं पुर्नस्थापना" करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व अर्द्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाये रखना, जल संरक्षण एवं वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

B) यूथ एवं ईको क्लब गठन की प्रक्रिया:-

1. प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
2. माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
3. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
4. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
5. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
6. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

7. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।
8. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।
9. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करनी है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।
10. विद्यालय समय पश्चात रोटेशन के आधार पर एक अध्यापक / शारीरिक शिक्षक प्रभारी के रूप में विद्यालय समय पश्चात बच्चों के साथ खेल मैदान में उपस्थित रहकर विद्यालय के खेल मैदान, खेल संसाधन इत्यादि का उपयोग करेंगे।
11. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायीं जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।
12. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।
13. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं ईको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक / शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेंगी।
14. समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
15. समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।
16. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिविरा कलैण्डर अनुसार निर्धारित दिवसों एवं विद्यालय समय पश्चात् तथा अवकाशों के दौरान किया जायेगा।
17. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।
18. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाये।
19. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा। रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
20. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को समस्त "यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर" का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

C) गतिविधियाँ:-

• यूथ क्लब गतिविधियाँ:-

- ✓ यूथ क्लब गतिविधियों में समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद-विवाद, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं रीडिंग गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं।
- ✓ विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों के रचनात्मक, कार्य कौशल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर प्रदान किये जायें। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मार्गदर्शन /सहयोग लिया जाये।

• ईको क्लब गतिविधियाँ:-

- ✓ ईको क्लब गतिविधियों में पर्यावरण, जैवविविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- ✓ प्रदर्शनी, पेंटिंग, लेखन, वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल-चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन किया जायेगा।
- ✓ सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत सभी बच्चों की लम्बाई, वजन एवं शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड 'विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर' में संधारित किया जायेगा। विद्यालय में आयोजित सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ✓ प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में "स्वच्छता कार्यक्रम" आयोजित किया जायेगा। जिसमें विद्यालय परिसर एवं कक्षा-कक्षों की साफ-सफाई, ठोस कचरा निस्तारण, जल-निकास एवं पानी की टंकियों की साफ-सफाई, सामूहिक रूप से शिक्षकों के निर्देशन में की जायेगी।
- ✓ सप्ताह में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता जैसे कि- नाखून, स्नान, सिर के बालों, दाँतों, यूनिफॉर्म, जूते-मोजों इत्यादि की साफ-सफाई की जाँच की जायेगी एवं बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा।
- ✓ जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जाकर अपने आस-पास के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा। जल संरक्षण के प्रति आयोजित होने वाले "जल शक्ति अभियान" अन्तर्गत सभी विद्यालयों के ईको क्लब द्वारा जल संरक्षण के प्रचार-प्रसार के आयोजन किये जायेंगे।
- ✓ विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमताओं को पहचानने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यालय के अनुपयोगी, निष्क्रिय व अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाकर उनकी सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित किया जाये।
- ✓ विद्यार्थियों में सहशैक्षिक व मनोरंजक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिये विद्यालय के अनुपयोगी, निष्क्रिय सामानों का विद्यालय समय पश्चात व अवकाश दिवसों में भी विद्यालय के खेल मैदान, खेल उपकरण व अन्य गतिविधियों में उपयोग में लिया जा सकता है, जिससे बच्चों में सृजनात्मक एवं संज्ञानात्मक समझ का विकास हो सके।
- ✓ विद्यालयों में पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी वार्तायें, निबन्ध प्रतियोगिता, रैली इत्यादि का आयोजन किया जाये।
- ✓ विद्यालय में चारदीवारी, पर्याप्त भूमि एवं जलस्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवं फलदार पौधों को लगाया जाये।
- ✓ विद्यालय परिसर में 200 पौधे लगाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित सीआरसी/संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी से अग्रिम सम्पर्क - समन्वय स्थापित कर विद्यालय में लगाये जाने वाले पोषण वाटिका / नर्सरी की समुचित सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक PS/PSSE/2021 जयपुर दिनांक 23.06.2021 के अनुसार महात्मा गांधी मनरेगा योजना से एक श्रमिक की सेवायें प्राप्त करने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। समस्त सीआरसी/संस्था प्रधान संलग्न आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- ✓ कोविड-19 की वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुये पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण संतुलन बनाने व विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिये निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/मा-स /

पर्यावरण/ 2017 /136 दिनांक 11 जून, 2021 द्वारा लागू “विद्यालय वाटिका”, “हरित विद्यालय योजना” की कार्ययोजना बनाकर ईको क्लब में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

✓ विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दी जायेगी।

D) यूथ एवं ईको क्लब अन्तर्गत हरित विद्यालय हेतु मानक -

1. भौतिक सुविधाओं में -

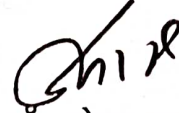
- ✓ विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाएँ यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय-मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई व्यवस्थायें क्रियाशील होनी चाहिये।
- ✓ विद्यालय के प्रवेश द्वार के समीप यूथ एवं ईको क्लब युक्त हरित विद्यालय का बोर्ड बना हुआ हो।
- ✓ विद्यालय में पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं सुरक्षित वृक्षारोपण हेतु पूर्ण एवं सुरक्षित चार दीवारी।
- ✓ विद्यालय में हरित जलवायु क्षेत्र/ग्रीन कॉर्नर स्थापित किया हुआ हो जहाँ बच्चों द्वारा पाँचों हाउस अर्थात् पंच तत्वों पर नवाचार किया गया हो।
- ✓ विद्यालय में सुचारु एवं पर्याप्त विधुत सुविधा की उपलब्धता हो।
- ✓ विद्यालय में नवाचार हेतु आवश्यक उपकरणों की किट अर्थात् बागवानी किट, कबाड़ से जुगाड़ द्वारा उपयोगी सामग्री निर्माण हेतु उपकरण एवं सामग्री की उपलब्धता।
- ✓ सुचारु एवं पर्याप्त जल युक्त जल स्रोत एवं जल भंडारण व्यवस्था।
- ✓ विद्यालय प्रबन्धन समिति का ईको क्लब की गतिविधियों में सहयोग एवं सहभागिता।

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य -

S.No.	District	Physical Target		Financial Target @ Rs. 15,000/-
		PS & UPS	Secondary & Sr. Secondary as per UDISE 2020-21	
1	AJMER	0	525	78.750
2	ALWAR	0	795	119.250
3	BANSWARA	0	464	69.600
4	BARAN	0	309	46.350
5	BARMER	0	721	108.150
6	BHARATPUR	0	555	83.250
7	BHILWARA	0	578	86.700
8	BIKANER	0	447	67.050
9	BUNDI	0	275	41.250
10	CHITTAURGARH	0	411	61.650
11	CHURU	0	513	76.950
12	DAUSA	0	385	57.750
13	DHAULPUR	0	291	43.650
14	DUNGARPUR	0	399	59.850
15	GANGANAGAR	0	487	73.050
16	HANUMANGARH	0	364	54.600
17	JAIPUR	0	986	147.900
18	JAISALMER	0	192	28.800
19	JALOR	0	396	59.400
20	JHALAWAR	0	328	49.200
21	JHUNJHUNU	0	530	79.500
22	JODHPUR	0	716	107.400
23	KARAULI	0	324	48.600
24	KOTA	0	321	48.150
25	NAGPUR	0	756	113.400
26	PALI	0	501	75.150
27	PRATAPGARH	0	214	32.100
28	RAJSAMAND	0	301	45.150
29	SAWAI MADHOPUR	0	308	46.200
30	SIKAR	0	640	96.000
31	SIROHI	0	239	35.850
32	TONK	0	338	50.700
33	UDAIPUR	0	751	112.650
TOTAL			15360	2304.0000

(3)

- विद्यार्थियों में कोविड-19 के प्रति समझ / जागरूकता बढ़ाने एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जायेगा।
- a. संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद का प्रेषित करें।
- b. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- c. सामग्री क्रय में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
- d. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये गतिविधि / कार्यक्रम का संचालन किया जाये। साथ ही भारत व राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।



(डॉ० मोहन लाल यादव)

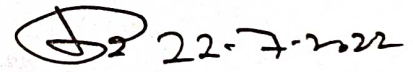
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/ओ.शि./ यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2022-23/ 3447

दिनांक 22/7/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देश की क्रियान्विति के लिये संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ.प्रा. एवं मा./ सीबीईओ /सीआरसी को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद कार्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

 22-7-2022

M.L. Sharma
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-